न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 26/2017 ::
जीसीएमएस नं. :: 2018/00381

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण

अर्जुन पुत्र मुकनाराम बावरी निवासी टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
अनुपस्थित :— अप्रार्थी की और से अधिवक्ता दिनेश कुमार

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :—27.01.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अर्जुन पुत्र मुकनाराम बावरी निवासी टूकड़ा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थी के हक में किए गए आवंटन दिनाक 06.05.1976 खसरा नंबर 438/48 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल को निरस्त कराने हेतु पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी अर्जुन पुत्र मुकनाराम जाति बावरी निवासी टूकड़ा के हक में दिनाँक 06.05.1976 को ग्राम टूकड़ा के खसरा नंबर 438/48 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का आवंटन किया गया था तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 132 के द्वारा अप्रार्थी को बतौर गैर खातेदार रेकर्ड में इन्द्राज किया गया था। उक्त आवंटित भूमी पर आवंटी का आज तक भौतिक रूप से कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर भूमी पड़त है इस कारण से आवंटी आज भी गैर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे तथा भूमी पुनः सिवायचक बारानी अव्वल राजकीय खाते में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें। अपने तर्को की ताईद में तहसीलदार द्वारा रूबरू मौतबिरान के तैयार मौका रिपोर्ट दिनाँक 14.04.2018 पेश की गई है। तथा जैर प्रार्थना पत्र आराजी की खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 438/48 रकबा 10 बीघा बारानी अव्वल में अप्रार्थी की गैर खातेदारी दर्ज थी। अर्जुन पुत्र मुकना बावरी को आवंटित उक्त आराजी बाबत संवत 2040 से आदिनाँक तक खसरा गिरदावरी पेश की जिसमें भूमी मौके पर पड़त दर्ज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थी को बार—बार आवाजे लगाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना पत्र में बाद सुनने बहस प्रार्थी के गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

बहस अधिवक्ता सरकारी पैरोकर सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अर्जुन पुत्र मुकनाराम बावरी निवासी टूकड़ा तहसील जैतारण को ग्राम टूकड़ा के खसरा नंबर 438/48 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल का आवंटन कमेटी द्वारा दिनाँक 06.05.1976 को भूमि आवंटन किया गया था। आवंटी का आदिनाँक तक आवंटित आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त नहीं है जिसकी पुष्टि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनाँक 14.04.2018 तथा उक्त खसरे की खसरा गिरदावरी संवत 2040 से 2072 तक की पत्रावली संलग्न तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियो से होती है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आंवटित आराजी के संदर्भ में भूमि आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तों की आदिनांक तक पालना नहीं किये जाने से भू आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप आंवटी अर्जुन पुत्र मुकना बावरी निवासी टूंकड़ा तहसील जैतारण के पक्ष में दिनाँक 06.05.1976 को राजस्थान [illegible] प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन कमेटी द्वारा [illegible] आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण निरस्त [illegible] आवंटित आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक सरकारी खाते में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:45:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 27.01.2021 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर पाली

जिला कलेक्टर, पाली